रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1992/चैत्र 31, 1914
No. 178] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1992/CHAITRA 31, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1992

सा.का.नि. 427(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूतिकोरिन पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में तूतिकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) दूसरा संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[एफ. सं:पी. आर.—12016/28/91-पी. ई. 1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

तूत्तूक्कुड़ि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) दूसरा संशोधन विनियम, 1992

महापत्तन न्यास का अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, तूत्तुक्कुड़ि पत्तन के न्यासी गण, तूत्तुक्कुड़ि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1979 [भारत के राजपत्र सा.का.नि. 236 (ङ) दिनांक 16-3-1979 में प्रकाशित] को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम तूत्तुक्कुड़ि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) दूसरा संशोधन विनियम, 1992 कहे जायेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 8 में :—

(1) निम्नलिखित उपविनियम (3), (4) और (5) के रूप में जोड़ा दिया जाना चाहिए ।

(3) उप विनियम (1) में किसी बात के होते हुए, अंशदाता उस विशेष महीने के लिए, जिसके दौरान सेवा छोड़ने वाले हैं, निधि को अंशदान नहीं करेंगे जब तक कि महीने के आरंभ के पहले ही वे उक्त महीने के लिए अंशदान करने का अपना विकल्प लिखित रूप में, कार्यालय के अध्यक्ष को सूचित कर दें ।

(4) निवृत्ति की आयु के आधार पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को, सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान सामान्य भविष्य निधि के किसी तरह का अंशदान करने से छूट दी जाए । अंशदान को बंद करना अनिवार्य होगा, न कि विकल्प । इस अवधि के दौरान सामान्य भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम धन की वापसी की ओर से वसूली नहीं की जाएगी ।

(5) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1979 के विनियम 8 (1), 9(1)(ख) और विनियम 9(4) में किसी बात के होते हुए अंशदाताओं, जो उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस या इसी तरह की किसी अदायगी प्राप्त करने वाले हैं, अगर चाहें तो, योजना के अंदर स्वीकार्य कुल राशि या उसकी अंश राशि को, उनके अपने संबंधित सामान्य भविष्य निधि में जमा कर सकते हैं ।

3. विनियम 9(2) (क) में वर्तमान परंतुक (1) के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाए :—

"बशर्ते कि :—

(1) अगर, अंशदाता छुट्टी पर या उक्त छुट्टी के दौरान अंशदान करने का विकल्प नहीं दिया या उक्त दिनांक पर मुलतवी के अधीन था, उनकी परिलब्धियां ऐसी मानी जायेंगी कि जिस के लिए वे, ड्यूटी पर वापस आने के पहले दिन से हकदार होंगे ।"

. विनियम 14 में, निम्नलिखित को उप विनियम (4) के रूप में जोड़ा जाए :—

"(4) सेवा निवृत्त होने के एक महीने के पहले, अदायगी जारी करने का प्राधिकार रखने में लेखा अधिकारी को अधिकार देने के वास्ते सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान कोई भी अस्थायी अग्रिम नहीं दिया जाएगा । इस अवधि के दौरान साधारणत: किसी भी आंशिक या अंतिम वापसी का अनुमत नहीं दिया जाएगा । फिर भी विशेष या दुर्लभ मामलों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंशिक अंतिम वापसी लेने की मंजूरी दी जाएगी । इस तरह की परिस्थितियों में अंतिम वापसी निपटाने में होने वाली देरी, अगर हो तो अंशदाता खुद जिम्मेदार होंगे ।"

5. (i) विनियम 15 में, उप विनियम (3) के अंदर निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए :—

"परंतुक इस तरह के अग्रिम की मंजूरी देने के पहले, अंशदाता को, लिखित रूप में और सूचना प्राप्त करने पन्द्रह दिन के अंदर, मंजूरीदाता प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि पुन: अदायगी का प्रवर्तन क्यों नहीं किया जाए और निर्धारित पन्द्रह दिन की अवधि के अंदर अंश दाता द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है तो, उसी को अध्यक्ष के निर्णय के लिए प्रस्तुत करना होगा और अगर निर्धारित की गयी उक्त अवधि के अंदर स्पष्टीकरण का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है तो, उपविनियम में निर्धारित पद्धति के अनुसार अग्रिम की पुन:-अदायगी का प्रवर्तन करना होगा ।"

(ii) विनियम 15 में निम्नलिखित विनियम, उप विनियम (5) के बदा उप विनियम (6) के रूप में जोड़ा जाए :—

"(6) ऐसा पता लगाया गया है कि अंशदाता ने निधि से वापसी लेने के दिन, उनके खाते में स्थित वास्तविक राशि से भी अधिक राशि को, वापसी के रूप में प्राप्त की हो तो, वापसी के रूप में ली गयी उक्त अधिक राशि, पेशगी के वापसी लेते समय हुआ था या निधि से अंतिम अदायगी लेते वक्त हुआ था, जैसे बातों को ध्यान में न लेते हुए, अंशदाता तुरंत ब्याज के साथ एक मुश्त में पुन: अदायगी की जानी चाहिए या अदायगी नहीं करने पर अंशदाता की परिलब्धियों में से एक मुश्त में उक्त राशि को घटाव द्वारा वसूली करने के लिए आदेश दिया जाए । अगर वसूली की जाने वाली कुल राशि, अंशदाता की परिलब्धियों की आधी राशि से अधिक हो तो, ब्याज सहित उक्त पूरी राशि की वसूली होने तक, उक्त राशि की वसूली, उनके अपनी परिलब्धियों में से आधी राशि की वजह से, मासिक स्तर पर, वसूली की जानी चाहिए । इस उप विनियम के लिए, ज्यादा निकाले गये रुपयों पर लगाये जाने वाले ब्याज, उप विनियम (1) के अधीन भविष्य निधि के शेष राशि पर लगायी जाने वाली दर के अतिरिक्त 2-1/2% होगा । ज्यादा निकाली गयी राशि पर वसूल किये गये ब्याज को, सामान्य भविष्य निधि के अन्दर विशेष उप शीर्षक कि ज्यादा निकाली गयी सामान्य भविष्य निधि पेशगी के अन्दर जमा कर दिया जाना चाहिए ।"

6. विनियम 16 में वर्तमान विनियम के लिए निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाए :—

"इन विनियमों में किसी बात के होते हुए, अगर अध्यक्ष को शक करने के कारण हैं कि विनियम 14 के अंदर अग्रिम के रूप में निधि से वापसी ली गयी राशि, और उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था, न कि जिस प्रत्येक उद्देश्य के लिए राशि को वापसी के रूप में लेने की मंजूरी दी गयी थी । अध्यक्ष, अंशदाता को अपने शक के कारणों को सूचित करेंगे और उक्त सूचना प्राप्त करने के दिन से पन्द्रह दिन की अवधि के अंदर लिखित रूप में यह स्पष्टीकरण मांगेगे कि वापसी के रूप में ली गयी अग्रिम राशि, उस प्रत्येक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था या नहीं, जिस के लिए राशि की मंजूरी दी गयी थी । उक्त पन्द्रह दिन की अवधि के अंदर अंशदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से अगर अध्यक्ष संतुष्ट नहीं हैं तो मंजूरीदाता प्राधिकारी, अंशदाता को, संबंधित पूरी राशि को तुरंत निधि में जमा करने का निदेश देंगे या इस तरह की आदयगी न करने का निदेश देंगे या इस तरह की अदायगी न करने पर, अंशदाता छुट्टी पर रहने पर भी, अंशदाता की परिलब्धियों में से एक मुश्त में, उक्त राशी को घटाव द्वारा वसूली करने के लिए आदेश देंगे । अगर पुन: अदायगी की जाने वाली राशि, अंशदाता की कुल परिलब्धियों की आधी राशि से अधिक हों तो, कुल राशि पूरा होने तक, मासिक स्तर पर उनके अपनी मासिक परिलब्धियों में से आधी राशि की वजह से, कुल राशि पूरा होने तक, वसूलियां वसूल की जानी चाहिए ।

टिप्पणी : इन विनियमों में उपयोगित शब्द "परिलब्धियों" में निर्वाह मात्र भत्ता अनुदान शामिल नहीं है ।"

7. विनियम 17(1) में, निम्नलिखित विनियम उप विनियम (3) से (6) तक जोड़ा जाए :—

"(3) इस विनियम के अंदर, आंशिक या अग्रिम वापसी अनुदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी, अंशदाता के खाते में स्थित शेष राशि में से 90% तक आंशिक या अग्रिम वापसी मंजूर करेंगे, जब कि उक्त वापसी के लिए अधिवार्षिता के आधार पर सेवा निवृत्त होने के बारह महीनों के पहले ही, इस तरह की वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो । इस तरह की सुविधा, अंशदाता को केवल एक ही बार मिलेगी । इस तरह की आंशिक

अंतिम वापसी के लिए आवेदन करते समय अंशदाता को कोई कारण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी, इस तरह की सुविधा का उपयोग पाने वाले अंशदाता इस तरह की वापसी से ली गयी राशि को वित्त मंत्रालय, आर्थिक विषय विभाग के दिनांक 7-6-1989 की अधिसूचना संख्या : एफ 2/14/89 एन.एस. 11 द्वारा परिचय की गयी नयी बचत निवेश योजना में निवेश करने के लिए योग्य नहीं होंगे ।

(4) (1) कर्मचारियों को, जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा (टूटी सेवा को मिलाकर, अगर हो तो) पूरी की हो, या अधिवार्षिता पाने के लिए 5 साल से कम वर्ष प्राप्त की हो, मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर या उक्त उद्देश्य के लिए सरकार से लिए गए ऋण को पुनः अदायगी करने के लिए उनकी अपनी सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) से आंशिक अंतिम वापसी लेने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी—

(i) कर्मचारी का वेतनमान, मोटर कार खरीदने के मामले में प्रतिमास रु. 3500/- या उससे अधिक, मोटर साइकिल/स्कूटर आदि खरीदने के मामले में प्रतिमास रु. 1500/- या उससे अधिक होना चाहिए। [मूल वेतनमान एफ.आर. 9 (21) (क) (1) में परिभाषितानुसार और विशेष वेतन महंगाई वेतन और वेतन के अन्य शर्तों के बिना लेकिन एन. पी ए. शामिल है।]

(ii) वापसी की राशि मोटर कार खरीदने के लिए रु. 50,000/- और मोटर साइकिल/स्कूटर आदि खरीदने के लिए रु. 8000/- तक सीमित है । इस तरह ली गयी वापसी राशि और वाहन पेशगी अनुदान अगर हों, दोनों को मिलाकर राशि गाड़ी की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

(iii) उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें कम से कम 15 वर्ष की सेवा काल पूरा करने में 6 महीने की अनधिक अवधि की कमी है, उन्हें क्रमशः 36 से अनधिक किश्तों में प्रत्यर्पणीय पेशगी लेने के लिए अनुमति देंगे ।

(iv) कर्मचारी, जिन्हें उपरोक्त खण्ड (3) के अनुसार पेशगी प्राप्त करने के लिए अनुमति दी गयी थी, 15 वर्ष की सेवा पूरा करने पर चाहें तो पेशगी की बकाया राशि को अंतिम वापसी के रूप में बदलाने की अनुमति दी जाएगी ।

(v) इस तरह की वापसी की अनुमति केवल एक ही बार दी जाएगी ।

(2) विशेष कारणों के लिए, संबंधित भविष्य निधि विनियम के अधीन पेशगी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी, ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के उपलक्ष्य में, इन आदेशों के अधीन अंतिम वापसी लेने के लिए मंजूरी प्रदान करेंगे । कार्यविधिक विवरण, अन्य वापसी मामलों के जैसे होंगे ।

(5) (1) कर्मचारी जिन्होंने 28 वर्ष की सेवा पूरी की हो, या जिन्हें अधिवार्षिता की आयु पाने के लिए 3 वर्ष से कम की आयु हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी मोटर गाड़ियों को विस्तृत मरम्मतों या पूरी तरह मरम्मत करने के लिए भविष्य निधि (सा.भ.नि.) से अंतिम वापसी लेने के लिए अनुमति दी जाएगी ।

(i) कर्मचारी का वेतन रु. 1000/- या अधिक ।

(ii) वापसी की राशि, रु. 5,000/- तक या अंशदाता की सामान्य भविष्य निधि के जमा में स्थायी राशि में से 1/3 की राशि या विस्तृत मरम्मत/पूरी मरम्मत के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि, जो भी कम हो, सीमित है ।

(iii) संबंधित कर्मचारी से कार खरीदने के बाद हुई अवधि 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पुरानी कार के मामले में, पहले खरीददार द्वारा कार खरीदी गयी प्रारंभिक तिथि गणना में ली जाएगी ।

(iv) पूरी सेवा के दौरान, अंशदाता को, इस तरह की वापसी लेने का मौका एक ही बार दिया जाएगा ।

(2) विशेष कारणों के लिए संबंधित भविष्य निधि विनियमों के अधीन पेशगी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के उपलक्ष्य में, इन आदेशों के अधीन अंतिम वापसी लेने के लिए मंजूरी प्रदान करेंगे । कार्यविधिक विवरण अन्य वापसी मामलों के जैसे होंगे ।

"(6) (1) कर्मचारियों को, जिन्होंने, 15 वर्ष की सेवा (टूटी सेवा को मिलाकर, अगर हों तो) पूरी की हो, मोटर कार, मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि को बुक करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम वापसी लेने के लिए अनुमति दी जाएगी :—

(क) मोटर कार का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कर्मचारी का वेतनमान रु. 3500 प्रतिमास और मोटर साइकिल/स्कूटर के मामले में वेतनमान 1500 प्रतिमास या उससे अधिक होना चाहिए। [मूल वेतनमान एफ.आर. 9 (21) (क) (1) में परिभाषितानुसार और विशेष वेतनमान महंगाई वेतन और वेतन के अन्य शर्तों के बिना, लेकिन (एन.पी.ए.)] शामिल हैं ।

(ख) वापसी की राशि, कार खरीदने के लिए रु. 10,000/- और रु. 500/- मोटर साइकिल/स्कूटर आदि खरीदने के मामले में या अंशदाता की सामान्य भविष्य निधि की जमा में स्थायी राशि में से 50% की राशि या कार या मोटर साइकिल/स्कूटर आदि के रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि, जो भी कम हो, सीमित है ।

(ग) वापसी की राशि कार या मोटर साइकिल/स्कूटर आदि को बुक करने के लिए अपेक्षित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) वापसी की तिथि से लेकर एक महीने की अवधि के अंदर जमा रसीद, सत्यापन हेतु, संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए । इस तरह न करने के फलस्वरूप वापसी की पूरी राशि को वापस करना पड़ेगा ।

(ङ) अगर अधिकारी, कार/मोटर साइकिल/स्कूटर आदि नहीं खरीदने या, इस योजना को चुनना नहीं चाहते तो उन्हें तुरंत निर्माता/डीलर से प्राप्त अंतिम वापसी की राशि को ब्याज सहित सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए ।

(च) उन अधिकारियों के मामले में जिन्होंने न्यूनतम पन्द्रह वर्ष की सेवा काल पूरा करने में 6 महीने की अनधिक अवधि की कमी है, उन्हें अध्यक्ष 36 से अनधिक किश्तों में प्रत्यर्पणीय पेशगी लेने के लिए अनुमति देंगे । बाकी अन्य सभी शर्तों में कोई शिथिलता नहीं है ।

(छ) कर्मचारियों को जिन्हें उपरोक्त (ब) के अनुसार अग्रिम लेने की अनुमति दी गयी थी, 15 वर्ष की सेवा काल पूरा करते ही, अग्रिम की उत्कृष्ट राशि को अंतिम वापसी के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ज) इस तरह की वापसी की अनुमति केवल एक ही बार दी जाएगी; और

(झ) ऊपर उल्लिखित राशि रु. 10,000 या रु. 500 को जैसी बात हो, सामान्य भविष्य निधि से वापसी लेने के लिए अद्यतन नियत ओवराल सीलिंग को निर्धारित करने समय ध्यान में रखा जाए।

(2) विशेष कारणों के लिए संबंधित भविष्य निधि विनियम के अधीन पेशगी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी, ऊपर उल्लिखित शर्तों का पूरा करने के उपलक्ष्य में इन आदेशों के अधीन अंतिम वापसी लेने के लिए मंजूरी प्रदान करेंगे। कार्यविधिक विवरण अन्य वापसी मामलों के जैसे होंगे।

9. विनियम 19 के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए :—

"अंशदाता जिन्होंने विनियम 17 के उप विनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी एक के लिए विनियम 14 के अंदर पेशगी प्राप्त की है या प्राप्त करने वाले हैं, विनियम 17 और 18 में निर्धारित शर्तों का अपनी ओर से पूरा करने के बाद स्थायी उत्कृष्ट बकाया राशि को अंतिम वापसी के रूप में परिवर्तित करने की इच्छा की मंजूरी प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को, लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं।

टिप्पणी 1 :—उक्त परिवर्तन के लिए उद्देशित आवेदन पत्र जब प्राधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी को प्रेषित किया जाता है, अंशदाता के वेतन बिल्स से पुन: वसूली करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्राधिकारी से संबंधित कार्यालय अधिकारी आदेश प्राप्त करेंगे।
टिप्पणी 2:—विनियम 18 के उप विनियम (1) के उद्देश्य के लिए परिवर्तित करते समय अंशदाता के खाते में स्थित ब्याज सहित बाकी अंशदान की राशि को और पेशगी की उत्कृष्ट राशि को बाकी शेष राशि के रूप में ली जानी चाहिए। हर वापसी को प्रत्येक समझा जाना चाहिए और एक से अधिक बार परिवर्तित करते समय उक्त नियम ही लागू होगा।

9. विनियम 23 में निम्नलिखित विनियम को उप विनियम (iii) के रूप में जोड़ा जाए :—

"(iii) जब कर्मचारी परिवार को छोड़कर गायब हो जाता है, परिवार को प्रथमत: देय वेतन की राशि, देय छुट्टी की नकद और सामान्य भविष्य निधि की राशि अदायगी की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा की गयी नामांकन के आधार पर और एक वर्ष की अवधि पूरा होने के बाद निम्नलिखित अनुवर्ती पैराओं में निर्देशित शर्तों के अधीन उक्त परिवार को डी सी आर जी/परिवार पेंशन आदि जैसे अन्य सुविधाएं मंजूर की जा सकती हैं।

निम्नलिखित औपचारिकताओं के पालन के बाद उपरोक्त सुविधाएं मंजूर की जाएगी :—

(1) परिवार को, संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और एक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए कि पुलिस की ओर से किए गए सारे प्रयासों के बावजूद भी कर्मचारी मिल नहीं पाये।

(2) कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति या आश्रितों से क्षतिपूर्ति बन्धपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि कर्मचारी के अचानक आ जाने पर या किसी तरह की दावा करने पर कर्मचारी को देय कुल राशि का समायोजन किया जाएगा।

भविष्य निधि विनियम के अंदर, कर्मचारी से सेवा छोड़ने के दिन से लेकर छ: महीने की अवधि तक अंशदाता की भविष्य निधि विशेष रकम पर ब्याज की अदायगी की जा सकती है। (सा.भ.नि. के विनियम 12 (4) तदनुसार पुलिस विभाग द्वारा परिवार को दी गयी रिपोर्ट कि पुलिस द्वारा की गयी सभी प्रयासों के बावजूद भी कर्मचारी मिल नहीं पाये, प्राप्त करने के दिन से छ: महीने की अवधि के लिए ब्याज की अदायगी की जा सकती है।

प्रधान विनियम : (1) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम भारत का राजपत्र दिनांक : 16-3-1979 सा.का.नि. सं. 236 (अ) में प्रकाशित किए गए थे।

(2) तूत्तुक्कुड़ि पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम भारत का राजपत्र दिनांक 23-10-1989 सा.का.नि.सं. 910 (अ) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1992

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Second Amendment Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Tuticorin and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The *said regulations* shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/28/91-PE. I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

TUTICORIN PORT EMPLOYEES (GENERAL PROVIDENT FUND) SECOND AMENDMENT REGULATIONS, 1992

In exercise of the powers conferred by Section 126, read with Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Tuticorin hereby makes, with the sanction of the Central Government, the following regulations to amend the Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1979 [Published in G.S.R. 236E) of the Gazette of India dated 16-3-1979], namely :—

1. (i) These regulations may be called the Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Second Amendment Regulations, 1992.

   (ii) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In Regulaion 8 :

   (i) The following shall be added as sub regulations (3), (4) and (5).

   (3) Notwithstanding anything contained in sub regulation (1), a subscriber shall not subscribe to the fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month.

   (4) An employee due to retire on superannuation shall be exempted from making any subscription to the General Provident Fund during the last three months of his service. The discontinuance of subscription would be compulsory and not optional. No recoveries towards refund of advance taken from General Provident Fund shall be made during this period.

   (5) Notwithstanding anything contained in Regulations 8(1), 9(1) (b) and Regulation 9(4) of the Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Regula-

tions, 1979, the subscribers who are entitled to receive the Productivity Linked Bonus or similar payment may, if they so desire, deposit the whole or a part of the amount admissible under the scheme in their respective Provident Fund Accounts.

3. In regulation 9(2) (a) for the existing proviso (i) the following proviso shall be substituted :—

"Provided that—

(i) If the subscriber was on leave and elected not be subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty."

4. In regulation 14, the following be added as sub regulation (4) :—

"(4) No temporary advance shall be sanctioned during the last three months of service in order to unable the Accounts Officer to complete the task of issuing authority for payment one month before retirement. No part-final withdrawal shall also be normally permitted during this period. However in exceptional rare circumstances part final withdrawal may be sanctioned by the competent authority. In that event the delay in the settlement of final payment, if any, will be the responsibility of the subscriber himself.'

5. (i) In Regulation 15, under sub-regulation (3) the following Proviso may be added :—

"Provided that, before such advance is allowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanattion is submitted by the subscriber within tht said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman for decision and if no explanation within the said period is submitted by him, repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub regulation."

(ii) In Regulation 15, the following regulation may be added as sub regulation (6) after sub regulation (5) :—

"(6) In case a subscriber is found to have drawn from the fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest, thereon in one lumpsum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscribers emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emolumnets till the entire amount together with interest is recovered For this sub regulation, the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2½% over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub regulation (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to General Provident Fund account under a distinct sub head viz. Penal interest on overdrawn General Provident Fund advance.

6. In Regulation 16 for the existing regulation the following may be substituted :-

"Notwithstanding anything contained in these Regulations, if the Chairman has reasons to doubt that money drawn as an advance from the fund under Regulaion 14 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawat of the money, the Chairman shall communicate the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the Chairman is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lump from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid by more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monhly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note.—The term "emoluments" in the regulations does not include subsistance grant.

7. In Regulation 17(i), the following regulations may be added as sub regulations (3) to (6) :—

"(3) The competent authority to grant part final withdrawals under this regulation may sanction part final withdrawals upto 90% of the balance at the credit of the subscriber in case it is applied for within twelve months before retirement on superannuation. This facility will be available only once to a subscriber. The subscriber will not be required to assign any reason for applying for such part final withdrawals. The subscribers availing this facility shall not, however, be eligible to invest the amount of such withdrawals in the new saving scheme introduced by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide their Notification No. F. 2/4/89-NS. II, dated 7-6-1989."

"(4) (1) The employees who have completed 15 years of service (including broken period of service, if any) or who have less than 5 years to attain the age of superannuation may be permitted to make part final withdrawal from thtir Provident Fund (GPF) for purchasing a Motor Car, Motor Cycle or Scooter, etc., or for repaying the Government loan already taken by them for the purpose, subject to the following conditions :—

(i) The employee's basic pay should be Rs. 3500 per month or more in the case of purchase of Motor Car and Rs. 1500 per month or more in the case of Motor Cycle/Scooter. etc., (basic pay as defined in F R. 9(21) (a) (i) without special pay dearness pay and such other conditions to pay but includes NPA).

(ii) The amount of withdrawal is limited to Rs 50,000 for purchase of Motor Car and Rs. 8,000 for purchase of Motor Cycle/Scooter etc. Such amount of withdrawal plus conveyance advance granted if any, should not exceed the cost of vehicle.

(iii) The Chairman may allow in special cases an advance refundable in not more than 36 instalments in the case of employees who may fall short of the minimum service of 15 years by a period of not more than 6 months.

(iv) The employees who have been allowed advance according to clause (iii) above, may be permitted to convert the outstanding balance of the advance into final withdrawal after completion of 15 years of service.

(v) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion.

(2) The authority competent to sanction an advance for special reasons under the relevant Provident Fund Regulations may sanction final withdrawals in terms of these orders subject to the fulfilment of conditions mentioned above. The procedural details will be as in the case of other withdrawals".

"(5) (1) The employees who have completed 28 years of service or who have less than 3 years to attain the age of superannuation, may be permitted to make final withdrawal from Provident Funds (GPF) for the extensive repairs or overhauling of their Motor Cars subject to the following conditions :—

(i) The employee's pay is Rs. 1,000 or more.

(ii) The amount of withdrawal is limited to Rs. 5,000 or 1/3rd of the amount standing to the credit of the subscriber in the General Provident Fund or the actual amount of repairing/overhauling, whichever is the least.

(iii) Not less than 5 years should have elapsed since the car was purchased by the employees concerned. In the case of second hand car, the initial date of purchase by the first purchaser will be taken into account.

(iv) Such withdrawal shall be allowed only once in the service career of the subscriber.

(2) The authority competent to sanction an advance for special reasons under the relevant General Provident Fund Regulations may sanction a final withdrawal in terms of these orders subject to the fulfilment of the conditions mentioned above. The procedural details will be as in the case of other withdrawals."

"(6) (1) The employees who have completed 15 years of service (including broken periods of service, if any) may be permitted to make a part final withdrawal from the General Provident Funds for booking a Motor Car/Motor Cycle/Scooter/Moped, etc. subject to the following conditions :—

(a) The employee's basic pay is Rs. 3,500 per month or above for registration of Motor Car and a basic pay of Rs. 1,500 per month or above in the case of Motor Cycle/Scooter etc. (Basic pay as defined in F.R. 9(21) (a) (i) without Special Pay, Dearness Pay and such other additions to pay but including NPA).

(b) The amount of withdrawal is limited to Rs. 10,000 in the case of Car and Rs 500 in the case of Motor Cycle/Scooter, etc. or 50% of the amount standing to the credit of the subscriber in the General Provident Fund or the actual amount of registration of the car or Motor Cycle/Scooter, etc., whichever is less ;

(c) The amount of withdrawal shall not exceed the amount required for booking a car or Motor Cycle or Scooter, etc. ;

(d) The Deposit Receipt must be produced for verification by the concerned administrative authority within a period of one month from the date of drawal. Failure to do so would involve refund of the total amount of withdrawal ;

(e) If the Officer does not purchase a Car/Motor Cycle/Scooter, etc., or opts out of the scheme he should immediately deposit the amount of final withdrawal together with interest received thereon from the manufacturer/dealer into the General Provident Fund account ;

(f) The Chairman may allow, in special cases an advance refundable in not more than 36 instalments in the case of Officers who may fall short of the minimum service of 15 years by a period of not more than 6 months. All other conditions shall not be relaxable.

(g) The employees who have been allowed advance according to (f) above may be permitted to convert the outstanding amount of advance into final withdrawal after completion of 15 years of service ;

(h) Such withdrawal shall be allowed only on one occasion ; and

(i) The amount of Rs. 10,000 or Rs. 500 as the case may be, referred to above, shall be taken into account for determining the overall ceiling at present fixed for withdrawal from General Provident Fund.

(2) The authority competent to sanction an advance for special reasons under the relevant Provident Fund Regulations, may sanction final withdrawal in terms of these orders subject to fulfilment of the conditions mentioned above. The procedural details will be as in the case of other withdrawals.

8. For Regulation 19, the following provision may be substituted :—

"A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under Regulation 14 for any of the purposes specified in such regulation (1) of Regulation 17, may convert at his discretion by written request addressed to the Accounts Officer through the sanctioning authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in Regulations 17 and 18.

Note 1.—The Head of Office in the case of the subscribers may be asked by the administrative authority to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is forwarded to the Accounts Officer by that authority.

Note 2.—For the purpose of sub-regulation (1) of Regulation 18, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

9. In Regulation 23, the following regulation may be added as sub-regulation (iii) :—

"(iii) When an employee disappears leaving his family, the family can be paid in the first instance the amount of salary due, leave encashment due, and the amount of General Provident Fund, having regard to the nomination made by the employee, and after the elapse of a period of one year, other benefits like DCRG/Family Pension may also be granted to the family subject to the fulfilment of conditions prescribed in the succeeding paragraphs.

The above benefits may be sanctioned after observing the following formalities :—

(i) The family must lodge a report with the concerned police station and obtain a report that the employee has not been traced after all efforts had been made by the police.

(ii) An Indemnity Bond should be taken from the nominee/dependents of the employee that all payments will be adjusted against the payments due to the employee in case he appears on the scene and makes any claim.

Under Provident Fund Regulations, interest can be paid on the Provident Fund balance of a subscriber upto a period of 6 months from the date of quitting of service (Reg. 12(4) of G.P.F. Regulations). Accordingly, the interest can be allowed upto 6 months from the date of receipt of the report by the family from the Police Department that the employee has not been traced after all efforts have been made by the Police.

Principal Regulation :

(1) The Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Regulations were published vide GSR No. 236(E) of the Gazette of India dated 16-3-1979.

(2) The Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) amendment Regulations were published vide GSR No. 910(E) of the Gazette of India dated 23-10-1989.

Printed by the Managar, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992